कार्यालय जिला पंचायत नैनीताल

पत्रांकः 06A / II-4/98-99 दिनांक 12/4/05

सेवा में,

श्री प्रदीप कुमार गुप्ता एवं श्रीमती शुभा गुप्ता,
ग्राम सतखोल (मल्लाप्यूडा)
जिला नैनीताल (उत्तरांचल)

महोदय,

कृपया आपने प्रार्थना पत्र दिनांक 20 मार्च 2005 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ग्राम सतखोल मल्लाप्यूडा स्थित जीर्ण–क्षीर्ण डाकबंगले को किराये पर दिये जाने का प्रस्ताव जिला पंचायत की बैठक दिनांक 23/03/2005 द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप यथाशीघ्र किराये सम्बन्धी औपचारिकतायें पूर्ण करने हेतु किराया की राशि तथा अनुबन्ध पत्र कार्यालय में जमा करने का कष्ट करें।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत नैनीताल

06776

किरायानामा-[illegible]

यह किरायानामा आज दिनांक 25अप्रैल2005,को जिला पंचायत नैनीताल द्वारा श्री [illegible] बिष्ट अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत नैनीताल (जिसे एतद् पश्चात प्रथमपक्ष कहा गया है,(प्रथमपक्ष) तथा श्री प्रदीप कुमार गुप्ता पुत्र श्री [illegible] गुप्ता एवं श्रीमती [illegible] गुप्ता निवासी-[illegible] ([illegible]) सेवानिवृत्त सहकारी सेवा [illegible] प्यूड़ा,नैनीताल,जिसे एतद् पश्चात् द्वितीयपक्ष कहा गया है(द्वितीयपक्ष)के बीच निष्पादित किया गया।

चूँकि प्रथमपक्ष ग्राम [illegible](मल्ला प्यूड़ा) तहसील व जिला नैनीताल में स्थित एक जीर्ण-शीर्ण भवन जिसे [illegible] के प्यूड़ा स्थित डाक बंगले के रूप में जाना जाता है,तथा वर्तमान में जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है, व जिसका पूर्ण विवरण इस किरायानामे के अंत में दी गयी अनुसूची में दिया गया है,का पूर्ण स्वामी है और द्वितीयपक्ष के अनुरोध (प्रार्थनापत्र) पर प्रथमपक्ष उक्त डाक बंगले को निम्न शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन कि-राए पर देने को तैयार है।

अतः यह विलेख साक्ष्यांकित करता है और पक्षकार निम्न अनुबंध करते हैं:-

1- कि प्रथमपक्ष द्वितीयपक्ष को अपना ग्राम मल्ला प्यूड़ा स्थित जीर्ण-शीर्ण डाक बंगला मय जमीन जिसका पूर्ण विवरण इस किरायानामे के अंत में दी गयी अनुसूची में दिया गया है,दिनांक 24/5/2005 से 20[illegible] तक के लिए 3000रुपये वार्षिक किराए पर देता है,द्वितीयपक्ष द्वारा उक्त भवन व भवन से लगी जमीन को "पर्यटन एवं" स्थानीय जनता के लिए रोजगार सृजन [illegible]

...2पर

INDIA NON JUDICIAL

१००० रु. — Rs 1000

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

08777

गतिविधि केन्द्र के रूप में विकसित करने के प्रयोजन हेतु प्रयोग में लायेगा।

2- कि पट्ट द्वारा उत्पन्न किरायेदारी की अवधि के दौरान किराए पर दी जा रही उक्त सम्पत्ति से संबंधित बिजली, पानी आदि का किराया जो देय हो के भुगतान का पूर्ण उत्तरदायित्व द्वितीयपक्ष का ही होगा।

3- कि किराए की वार्षिक राशि प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ से एक माह के भीतर अग्रिम द्वितीयपक्ष के द्वारा प्रथमपक्ष के कार्यालय में या उस स्थान पर और उस रीति से जो प्रथमपक्ष लिखित रूप से निर्देशित करे, जमा किया जायेगा।

4- कि किराए पर दी जा रही सम्पत्ति की प्रत्येक वर्ष आवश्यक मरम्मत रंगाई, पुताई व अन्य रख-रखाव के कार्य का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व द्वितीयपक्ष का रहेगा, किसी भी कार्य के व्यय की किसी राशि प्रथमपक्ष से वसूल करने या किराए की राशि में से काटने का कोई अधिकार द्वितीय को नहीं होगा। इसके अतिरिक्त द्वितीयपक्ष उस सम्पत्ति में कोई निर्माण अथवा परिवर्तन करना चाहे तो वह प्रथमपक्ष से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही आवश्यक परिवर्तन निर्माण कार्य सम्पादित करायेगा।

5- कि बिजली कनेक्शन लेने का अधिकार द्वितीयपक्ष को होगा।

6- किरायेदारी की अवधि की समाप्ति पर द्वितीयपक्ष के प्रार्थना पर इस किरायेदारी की अवधि को बढ़ाये जाने पर विचार किया जा सकेगा

...पर

भारत

INDIA

२० रु. 20 RS.

TWENTY RUPEES

जिसके लिए द्वितीयपक्ष द्वारा इस किरायेदारी अवधि की समाप्ति से न्यूनतम एक माह पूर्व प्रथमपक्ष को लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा, उस स्थिति में किराए की दर उस समय प्रचलित किराए की दर पर निर्धारित की जावेगी ।

7- कि द्वितीयपक्ष को किरायेदारी में दी गयी उपरोक्त सम्पत्ति या उसके किसी भी भाग में अपने किरायेदारी के अधिकार को किसी भी प्रकार से बिना प्रथमपक्ष के पूर्व लिखित सहमति के हस्तान्तरण का अधिकार नहीं होगा।

8- कि इस विलेख के निष्पादन एवं पंजीकरण का सम्पूर्ण व्यय द्वितीयपक्ष वहन करेगा।

9- कि इस किरायेदारी में किसी भी शर्त का द्वितीयपक्ष द्वारा उल्लंघन किए जाने पर प्रथमपक्ष को द्वितीयपक्ष की किरायेदारी को समाप्त करने का अधिकार होगा।

10- कि परिसर में जिसके पुराना प्यूड़ाताल वाली जमीन भी इस अनुबन्ध में मान्य होगी के अतिरिक्त खण्डहर डाक बंगला व पुराना कौंज जो भी खण्डहर के रूप में है, दी जाती है।

अनुसूची

ग्राम प्यूड़ा, तहसील नैनीताल जनपद नैनीताल में स्थित प्रथमपक्ष की सम्पत्ति जिसे प्रथमपक्ष के ग्राम प्यूड़ा स्थित डाक बंगले के रूप में जाना

20 Rs.

बीस रुपये

२० रू.

भारत

INDIA

TWENTY RUPEES

20 RS

जाता है व जिसमें जीर्ण-शीर्ण भवन व साथ लगी हुई भूमि सम्मिलित है, जिसकी सीमायें निम्न प्रकार हैं-पूर्व में - कच्ची दीवाल, की सीमा व फिर गधेरा, पश्चिम में-गधेरा व फिर डाकघर, उत्तर में- सीमा के पोल फिर आबाद जमीन, दक्षिण में सीमा की दीवाल फिर प्यूड़ा कालीगाड़ पैदल मार्ग।

जिसके साक्ष्य स्वरूप पक्षकारों के द्वारा इस विलेख में ऊपर लिखी आज की तिथि को हस्ताक्षरित किया गया ।

साक्षीगण-

1- मनोज कुमार लोहनी एडवोकेट नैनीताल ।

2- [illegible] नैनीताल ।

(गोरासिंहबिष्ट)
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, नैनीताल ।
प्रथमपक्ष

Shubha Gupta

1-श्री प्रदीप कुमार गुप्ता
पुत्र श्री किशन गुप्ता
2-श्रीमती शुभा गुप्ता
पत्नी प्रदीप कुमार गुप्ता
निवासी-तल्लौल कालीगाड़
सेवानिवृत्त सरकारी सेवा
तल्लीताल प्यूड़ा, नैनीताल ।

टाइप किया
मनोज कुमार जोशी
कचहरी, नैनीताल.